संख्या-4/1/2007-का-2-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 18 अगस्त, 2007

विषयः- राज्य सरकार की सहायता से निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों,अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों (Disinvested Units) आदि में सर्व समाज के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative Action)सुनिश्चित किया जाना ।

महोदय,

सर्वविदित है कि निजी क्षेत्रों, यथा-औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों (Disinvested Units) आदि में सर्वसमाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है ।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त भविष्य में अनेक औद्योगिक, शैक्षिक, अवस्थापना एवं जन सेवाओं संबंधी परियोजनायें, विनिवेशित इकाइयां, निजी क्षेत्र सहभागिता (Public Private partnership) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में लगायी जायेंगी, जिनमें राज्य सरकार द्वारा भूमि अथवा विभिन्न प्रकार की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी । उदाहरणार्थ- कुछ परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भूमि निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर दी जायेगी एवं शासकीय परिसम्पत्ति या सब्सिडी, निजी संस्थाओं को परियोजना हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध करायी जायेगी अथवा कर इत्यादि में रियायतें दी जायेंगी । इस प्रकार की इकाइयों के स्थापित होने से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । भविष्य में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर राज्याधीन सेवाओं से भी अधिक होने की संभावना है ।

3. अतः उक्त संदर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की सहायता से भविष्य में निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों, शैक्षिक प्रतिष्ठानों, अवस्थापना सुविधाओं, सर्विस सेक्टर परियोजनाओं, विनिवेशित इकाइयों इत्यादि में राज्य सरकार अथवा उसके किसी विभाग या एजेन्सी द्वारा कोई सुविधा (भूमि, अनुदान, राज्य सहायता) अथवा कोई परिसम्पत्ति दी जाय, तो उनके नियोक्ताओं से इस संबंध में होने वाले स्वैच्छिक करार में यह भी सन्निहित (Included) होगा कि उक्त परियोजनाओं / इकाइयों आदि में सृजित कुल रोजगार का 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तथा 10 प्रतिशत अन्य

पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक तथा 10 प्रतिशत अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को प्राप्त हो सके ।

4. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

18/8/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-4/1/2007(1)-का-2-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव